कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानांतरण./2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री रघुनाथ प्रसाद जाट ,प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गठवाडी जमवारामगढ जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आगरिया बकानी, झालावाड में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्री रघुनाथ प्रसाद जाट द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 417/2021 रघुनाथ प्रसाद जाट बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 417/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में उनके नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है साथ ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण जिले के भीतर कहीं भी कर सकने में स्थगन आदेश किसी प्रकार से बाधक नहीं होने का उल्लेख भी किया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी श्री रघुनाथ प्रसाद जाट का पदस्थापन GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANETHI (213046), KOTPUTLI (08120108601)(KOTPUTLI) में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर करते हुए दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। **उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।**

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/रघुनाथ प्रसाद जाट/417/2021 दिनांक2[illegible].07.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा/जयपुर, संभाग।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/झालावाड।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/झालावाड।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कोटपूतली जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)